



चन्द्रागिरी नगरपालिका वृद्धागिरी नगरपालिका

स्थानीय राजपत्र

खण्ड: १ संख्या: २ मिति : चैत्र १ गते, २०७५

भाग-१

चन्द्रागिरी नगरपालिका

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चन्द्रागिरी नगरपालिकाबाट यो राजपत्र प्रकाशन गरिएको छ ।

सम्बत् २०७५ सालको ऐन नं. १३

चन्द्रागिरी नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई
कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७५ (प्रथम संसोधन)

प्रस्तावना

चन्द्रागिरी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको निमित्त स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना संकलन गर्न, छुट दिन तथा अन्य आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न बाञ्छनिय भएकोले नेपालको संविधानको धारा २३० बमोजिम चन्द्रागिरी नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाले यो ऐनहरूका शीर्षकहरू थप तथा खारेज गरी यो ऐन प्रथम पटक संशोधन गरेको छ ।

१) **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :**

(१) यस ऐनको नाम “चन्द्रागिरी नगरपालिका आर्थिक ऐन (प्रथम संशोधन), २०७५ रहेको छ।

(२) यो ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागु हुनेछ।

| क्र.सं. | राजश्व शीर्षक | विवरण | दररेट |
|---------|---------------|---|--|
| १ | सम्पती कर | मूल ऐनको अनुसूची १ को नियम २ सँग सम्बन्धित (ग) र (घ) थप गरिएको। ग) ह्यास कट्टीको समय समाप्त भईसकेपछिको घरजग्गाको कर कति लिने | अन्तिम मूल्याङ्कन रकममा तोके बमोजिम कर लिने |
| | | घ)सम्पती कर लगाएका घरजग्गामा भूमिकर | नलाग्ने |
| २ | व्यवसाय कर | मूल ऐनको अनुसूची ४ को नियम ५ सँग सम्बन्धितमा २ थप गरिएको २) विविध यातायात सम्बन्धी व्यवसाय क) श्रेणी ख) श्रेणी ग) श्रेणी घ) श्रेणी | रु.१०,०००/- रु. ८,०००/- रु. ५,०००/- रु. ३,०००/- |
| | | मूल ऐनको अनुसूची ४ को नियम ५ सँग सम्बन्धित ४.४ मा २ पछि थप गरिएको ३) कपडा पेल्ले उद्योग क) श्रेणी ख) श्रेणी | रु. ८,०००/- रु. ६,०००/- |

| | | |
|--|---|--|
| | ग) श्रेणी घ) श्रेणी | रु. ४,०००/- रु. २,०००/- |
| | ४) गार्मेन्ट उद्योग क) श्रेणी ख) श्रेणी ग) श्रेणी घ) श्रेणी | रु. ८,०००/- रु. ६,०००/- रु. ४,०००/- रु. २,०००/- |
| | ५) कागजको प्लेट तथा कप बनाउने उद्योग क) श्रेणी ख) श्रेणी ग) श्रेणी घ) श्रेणी | रु. ८,०००/- रु. ६,०००/- रु. ४,०००/- रु. २,०००/- |
| | ६) सिरक डसना बनाउने क) श्रेणी ख) श्रेणी ग) श्रेणी घ) श्रेणी | रु. ८,०००/- रु. ६,०००/- रु. ४,०००/- रु. २,०००/- |
| | मूल ऐनको अनुसूची ४ को नियम ५ सँग सम्बन्धित ४.१३ मा ६ थप गरिएको ६) योग तथा आयुर्वेद केन्द्र | रु. १,५००/- |
| | ग) सिमेन्ट मुर्ति तथा हुक्का बनाउने क) श्रेणी ख) श्रेणी ग) श्रेणी | रु. ३,०००/- रु. २,०००/- रु. १,०००/- |

| | | |
|--|--|---------------|
| | मूल ऐनको अनुसूची ४ को नियम ५ सँग सम्बन्धित ४.१५ मा ३ थप गरिएको | |
| | ३) पानी तान्ने पम्प मर्मत | |
| | क) श्रेणी | रु. १,०००/- |
| | ख) श्रेणी | रु. ५००/- |
| | मूल ऐनको अनुसूची ४ को नियम ५ सँग सम्बन्धित १०४ देखि थप गरिएको | |
| | १०४. मोटर्स पार्ट्स बिक्री | |
| | क) श्रेणी | रु.२,०००/- |
| | ख) श्रेणी | रु.१,५००/- |
| | १०५. गाडी तान्ने यन्त्रशाला/क्रेन | |
| | (क) श्रेणी | रु. १५,०००/- |
| | (ख) श्रेणी | रु. १०,०००/- |
| | (ग) श्रेणी | रु. ५,०००/- |
| | १०६. ईलेक्ट्रीक सामान आयात गरी जडान गर्ने (रु.२० लाख भन्दा कम पुँजिका साना उद्योग) | रु.१,००,०००/- |
| | १०७. मोबिल तथा व्याट्री डिलर | |
| | क) रु.५० लाख भन्दा माथी पुँजि भएको | रु. २०,०००/- |
| | ख) रु.३० लाख १ देखि ५० लाखसम्म पुँजि भएको | रु. १०,००० /- |
| | ग) रु.२० लाख १ देखि ३० लाख सम्म पुँजि भएको | रु. ५,०००/- |

| | | | |
|----|-------------------|--|----------------------------------|
| | | घ) रु.२० लाखसम्म पुँजि भएको | रु. ३,०००/- |
| | | १०८. घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र ठाउँसारी | रु. १,५००/- |
| | | १०९. घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र प्रा.लि. | रु. १,५००/- |
| | | ११०. घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र नामसारी | रु. १,५००/- |
| | | १११. गैसस सूचिकृत | रु. १,०००/- |
| | | ११२. गैसस लाई कार्यक्रम संचालन गर्न अनुमति दस्तुर | रु. १,०००/- |
| | | ११३. बालगृह दर्ता शुल्क | रु. ५००/- |
| | | ११४. सुधारगृह दर्ता शुल्क | रु. १,५००/- |
| | | ११५. डोजर संचालन अनुमति दस्तुर | नि: शुल्क |
| ३. | सेवा शुल्क | मूल ऐनको अनुसूची १० को नियम ११ सँग सम्बन्धित ५१ देखि ५४ सम्मको पछि थप गरिएको | |
| | | ५१. केवलकार | ३ प्रतिशत प्रति टिकट |
| | | ५२. केवल डिस होम | रु. ५०/- प्रति वर्ष प्रति ग्राहक |
| | | ५३. तार रहित (वायरलेस) नेटवर्क | रु. ५०/- प्रति वर्ष प्रति ग्राहक |
| | | ५४. जादु, सर्कस, चटक आदि | रु. ५००/- दैनिक |

| | | | |
|----|----------------|---|-----------------------------|
| ४. | जरिवाना | मूल ऐनको अनुसूची १२ को नियम १३ सँग सम्बन्धित ५७ पछि थप गरिएको | |
| | | ५८. नाफामुलक सहकारी संस्थाले नियमित मासिक प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा । | प्रत्येक पटक रु. १,०००/- |
| | | ५९. नाफामुलक सहकारी संस्थाले वार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा | रु. १५००/- |
| | | ६०. नाफामुलक सहकारी संस्थाले लेखा परिक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा | रु. १५००/- |
| | | ६१. ले.प. नियुक्तिको जानकारी तोकिएको समय भित्र पेश नगरेमा । | रु. १५००/- |
| | | ६२. उल्लेखित जरिवानामा थप वर्षहरूको लागि १० प्रतिशत प्रतिवर्ष थप जरिवाना लाग्ने छ । | |

५. खारेज

चन्द्रागिरी नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूचि ७ (दफा ८ सँग सम्बन्धित), अनुसूचि ११ (नियम १२ सँग सम्बन्धित) को १ (क) (ख) प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५ सँग बाभिएकोले र (नियम २) नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं.४६ मिति २०७५।१०।१५ को सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी परिपत्रको बुँदा २१ र २३ बमोजिम खारेज गरिएको ।

प्रमाणिकरण : २०७६/१२/१ गते

मुल्य रु. ५।-

आज्ञाले
युवराज पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत